

वर्षाज
25.4.2025

2025/144

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
ओमप्रकाश आदि

बनाम

स्टेट

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 27 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
10.03.2025	<p>प्रार्थीगण ओमप्रकाश वगैरह की तरफ से वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 20 आरडब्ल्यूडी सी के प.नं. 236/410(14) कि.नं. 6 की 0.253 है., 7 की 0.253 है., 8 की 0.127 है. भूमि में मृतक मनीराम पुत्र भुराराम के वारीसान के नाम विरास्तन नामान्तरण करने से निषेध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 15.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	
15.4.2025	<p>वकील अर्जनलाल वर्मा/PU माह 2025 पत्रावली प्रकृतवली दिनांक 15.4.2025 पत्रावली प्रकृतवली</p>	
16.4.2025	<p>वकील अर्जनलाल वर्मा/PU माह 2025 पत्रावली प्रकृतवली दिनांक 15.4.2025 पत्रावली प्रकृतवली</p>	
25.4.2025	<p>वकील अर्जनलाल वर्मा/PU माह 2025 पत्रावली प्रकृतवली दिनांक 25.4.2025 पत्रावली प्रकृतवली</p> <p>वकील अर्जनलाल वर्मा/PU माह 2025 पत्रावली प्रकृतवली दिनांक 25.4.2025 पत्रावली प्रकृतवली</p>	